



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-के.ए.-अ.-24112025-267936
CG-KA-E-24112025-267936

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5169]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 21, 2025/कार्तिक 30, 1947

No. 5169]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 21, 2025/KARTIKA 30, 1947

रेल मंत्रालय

(दक्षिण पश्चिम रेलवे निर्माण संगठन)

अधिसूचना

बेंगलुरु, 21 नवम्बर 2025

का.आ. 5345(अ).—रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 20ई की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार (रेल मंत्रालय, दक्षिण पश्चिम रेलवे, निर्माण संगठन, बेंगलुरु छावनी), सहायक आयुक्त/धारवाड़ द्वारा उनके पत्र संख्या LAQ CR/120(A)/2024-25/838 दिनांक 03.09.2025 के अधीन प्रस्तुत की गई रिपोर्ट से संतुष्ट होने के बाद, एतद्वारा घोषणा करती है कि निम्नलिखित अनुसूची में वर्णित और दर्शाई गई और एस.ओ. 2995(ई) दिनांक 03.07.2025 के तहत अधिसूचित भूमि जो रेलवे अधिनियम 1989, यथा संशोधित 2008 के अध्याय 4 ए की धारा 20ए की उपधारा (1) के तहत जारी की गई है को विशेष रेलवे परियोजना अर्थात् कर्नाटक राज्य में "नवलगुंड रोड - अन्निगेरी, @ चैनल 34/700-800(अन्निगेरे गांव) में समपार फाटक सं.18 के बदले में 2 लेन आरओबी का निर्माण" के निष्पादन के लिए अधिग्रहित किया जाएगा।

सारणी

क्र. सं.	गांव का नाम	सर्वे सं.	भाग	क्षेत्रफल हेक्टेयर में
1.	अन्निगेरी	1091	1+2	0.3668
2.	अन्निगेरी	1092	1	0.0783
3.	अन्निगेरी	1092	2	0.0627
4.	अन्निगेरी	1093	-	0.0202
5.	अन्निगेरी	1094	-	0.1583
कुल				0.6863

[फा. सं. डब्ल्यू.271/नि/बेंछा/2025-26/भूमि विरेपरि/1727]

प्रदीप पुरी, मुख्य इंजीनियर/III/निर्माण
बेंगलुरु छावनी

MINISTRY OF RAILWAYS

(South Western Railway Construction Organisation)

NOTIFICATION

Bengaluru, the 21st November 2025

S.O. 5345(E).—In exercise of the powers conferred by sub-Section (1) of Section 20E of the Railway Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government (Ministry of Railways, South Western Railway, Construction Organisation, Bengaluru Cantonment), after satisfied with the report of Assistant Commissioner/Dharwad submitted vide his letter no. LAQ CR/120(A)/2024-25/838 dated 03.09.2025 hereby declares that the lands described and shown in the following schedule and notified under S.O. 2995(E) dated 06.07.2025 issued under sub-section (1) of Section 20A of chapter IVA of Railway Act, 1989 amended in 2008, should be acquired for executing the Special Railway Project namely “Construction of 2 lane ROB in lieu of LC No. 18 at Navalgund Road - Annigeri @ Ch: 34/700-800 (Annigere Village)” in the State of Karnataka.

SCHEDULE

Sl. No.	Name of the Village	Survey No.	Part	Area in Hectare
1.	Annigere	1091	1+2	0.3668
2.	Annigere	1092	1	0.0783
3.	Annigere	1092	2	0.0627
4.	Annigere	1093	-	0.0202
5.	Annigere	1094	-	0.1583
Total				0.6863

[F. No. W.271/CN/BNC/2025-26/Land SRP/1727]

PARDEEP PURI, Chief Engineer/III Bengaluru Cantonment